न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (RAS)

प्रार्थनापत्र	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
14 / 2023	04.04.2023	10.04..2023

//उनवान//

1 ओमकार पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी महेश्वरी तहसील धारूहेडा हरियाणा।

:– प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

:– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट।

उपस्थितिः– श्री रणवीरसिंह यादव – वकील प्रार्थी

निर्णय

दिनांक–10.04.2023

आज यह प्रार्थनापत्र पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र का सारतः रहा आराजी हाल खसरा नम्बर सम्वत् 2078 के अनुसार 372 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम बडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी। जिसके साबिक ख0नं0 सम्वत् 2071 के भू–प्रबन्ध से पूर्व ख0नं0 308 / 0.15 है0 रहा है उक्त आराजी मुतनाजा के मूल खातेदार सीताबाई पत्नि बानसिंह 1/2 व भजनीसिंह, विजेन्द्रसिंह, राजासिंह, मनोहरसिंह, अवतारसिंह, प्रेमसिंह पुत्रान व लालीकौर, भजनीकौर, रानीकौर, सोनीकौर पुत्रीयान व जानकीबाई पत्नि चरणसिंह जाति रायसिख की खातेदारी व कब्जेकाश्त की रही है उक्त खातेदारान ने अपने कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी को बाकब्जा एवं बएवज प्रतिफल औमकार प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा के बैचान कर दिया था। रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर प्रार्थी औमकार के पक्ष में इन्तकाल नम्बर 912 वाके ग्राम बडी दर्ज व मंजूर हो गया एवं जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 में प्रार्थी का नाम खातेदार के रूप में अमल हो गया। प्रार्थी मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थी का मौका कब्जा बाबत विक्रेतागण [illegible] विवाद नहीं है। आराजी मुतनाजा के भूप्रबन्ध ऑपरेशन के दौराने भूप्रबन्ध [illegible] जमाबन्दी को आधार मानकर रिकॉर्ड तैयार कर[illegible] ग्राम बडी पर गौर नहीं किया और ना ही उक्त इन्तकाल का अमल किया गया [illegible] हाल राजस्व रिकॉर्ड सम्वत् 2078 की जमाबन्दी जारी करते हुए विक्रेतागण के नाम खातेदार के रूप में दर्ज कर दिए जबकि उसके बाद भी विक्रेतागण का कोई उजर नहीं रहा है। भूप्रबन्ध विभाग सम्वत् 2071 की कार्यवाही के दौरान गलत इन्द्राज किए गये है जो भूप्रबन्ध विभाग को प्रार्थी की खातेदारी के इन्द्राजात को बिना किसी कारण के हजफ करने के अधिकार नहीं थे

उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

आदि–आदि अंकित करते हुए इस गलत इन्द्राजात की प्रार्थी को जानकारी दिनांक 16.11.2022 को जमाबन्दी की नकल इन्टरनेट से प्राप्त करने पर हुई इसके बाद प्रार्थी श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर के समक्ष राजस्व रिकॉर्ड शुद्धि के लिए प्रार्थना पेश किया जिस पर हलका पटवारी एवं कानूनगो की रिपोर्ट तलब की गई थी उक्त रिपोर्ट में राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात भूप्रबन्ध विभाग द्वारा त्रुटि किया जाना एवं उक्त त्रुटि को शुद्धि पत्र के जरिये सही किये जाने की सिफारिश की गई। उक्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी सं0 1 ने भी राजस्व रिकॉर्ड में हो रही त्रुटि को शुद्ध किया जाना उचित मानते हुए टिप्पणी लिखते हुए श्रीमान न्यायालय को अग्र प्रेषित किया गया, स्वयं प्रतिवादी द्वारा शुद्ध पत्र नहीं भरा गया इसलिए प्रार्थनापत्र पेश करना लाजिम आया है अंकित करते हुए प्रार्थनापत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आराजी हाल ख0नं0 सम्वत् 2078 के अनुसार खसरा नम्बर 372/0.15 है0 वाके ग्राम बडी तहसील मुण्डावर के हाल राजस्व रिकॉर्ड में भूप्रबन्ध विभाग द्वारा विक्रेतागण के नाम दर्ज किए गए को हजफ किया जाकर प्रार्थी के नाम अमल किये जाने का आदेश फरमाया जावे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की बाद विधिवत तलबी पैरोकार सरकार हाजिर अदालत आकर आदेशिका पर तहसीलदार मुण्डावर की अभिशंषा शुद्धि हेतु प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है वांछित शुद्धि किया जाना उचित. है इससे कोई राजहित प्रभावित नहीं होता जवाब सरकार की आवश्यकता नहीं है अंकित करते हुए सहमति स्वरूप पैरोकार सरकार ने अपने हस्ताक्षर किए।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र की ताईद में नकल इन्तकाल सं0 912 वाके ग्राम बडी, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2078, अभिशंषा रिपोर्ट हलका पटवारी, भू0 अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार मुण्डावर तथा नकल मिलान क्षेत्रफल हाल सम्वत् 2071 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील प्रार्थी की प्रार्थनापत्र के बाबत बहस प्रार्थनापत्र सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि विवादित आराजीयात मूल खातेदारान सीताबाई पत्नि बानसिंह 1/2 व भजनीसिंह, विजेन्द्रसिंह, राजासिंह, मनोहरसिंह, अवतारसिंह, प्रेमसिंह पुत्रान व लालीकौर, भजनीकौर, रानीकौर, सोनीकौर पुत्रीयान व जानकीबाई पत्नि चरणसिंह जाति रायसिख की खातेदारी व कब्जेकाश्त की रही है उक्त खातेदारान ने अपने [illegible] बाकब्जा एवं बएवज प्रतिफल औमकार प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड बै[illegible] कर दिया था एवं रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर क्रेता प्रार्थी [illegible] 912 वाके ग्राम बडी दर्ज व मंजूर हो गया एवं ज[illegible] प्रार्थी का नाम खातेदार के रूप में अमल हो गया था। प्रार्थी मौके पर वक्त खरीद [illegible] काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी का मौका कब्जा बाबत विक्रेतागण या दीगर व्यक्ति से कोई विवाद नहीं है आराजी मुतनाजा के भूप्रबन्ध ऑपरेशन के दौराने भूप्रबन्ध विभाग द्वारा सम्वत्

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:42:03 IST
Reason: SelfAttested

2071 की जमाबन्दी को आधार मानकर रिकॉर्ड तैयार करते हुए विक्रय इन्तकाल सं0 912 ग्राम बडी पर गौर नहीं किया और ना ही जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 में प्रार्थी के नाम के खातेदार के रूप में हो रहे अमल को नजरअंदाज करते हुए उक्त इन्तकाल का अमल किया गया तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड सम्वत् 2078 की जमाबन्दी जारी करते हुए विक्रेतागण के नाम खातेदार के रूप में दर्ज कर दिए जबकि उसके बाद भी विक्रेतागण का आज तक किसी भी प्रकार का कोई उजर नहीं रहा है। भूप्रबन्ध विभाग सम्वत् 2071 की कार्यवाही के दौरान गलत इन्द्राज किए गये है जो भूप्रबन्ध विभाग को प्रार्थी की खातेदारी के इन्द्राजात को बिना किसी कारण/सक्षम न्यायालय के आदेश के हजफ करने के अधिकार नहीं थे इस हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र की ताईद में नकल इन्तकाल सं0 912 वाके ग्राम बडी, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2078, अभिशंषा रिपोर्ट हलका पटवारी, भू0 अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार मुण्डावर तथा नकल मिलान क्षेत्रफल हाल सम्वत् 2071 की नकालात भी पेश की गई है जिनके अनुसार प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र को पूर्ण रूप से साबित कर दिया है अभिकथन करते हुए प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर हाल राजस्व रिकॉर्ड से विक्रेतागण के नाम के हो रहे अंकन को हजफ किया जाकर प्रार्थी औमकार के नाम अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त फरमाये जाने का निवेदन रहा।

वकील प्रार्थी की प्रार्थनापत्र के बाबत ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन उपरांत प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी के हाल ख0नं0 सम्वत् 2078 के अनुसार 372 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम बडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में विक्रेतागण मूल खातेदारान सीताबाई पत्नि बानसिंह 1/2 व भजनीसिंह, विजेन्द्रसिंह, राजासिंह, मनोहरसिंह, अवतारसिंह, प्रेमसिंह पुत्रान व लालीकौर, भजनीकौर, रानीकौर, सोनीकौर पुत्रीयान व जानकीबाई पत्नि चरणसिंह जाति रायसिख के नाम के [illegible] को हजफ करने के आदेश दिये जाते है एवं उनके स्थान [illegible] के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल [illegible] किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को निर्णय प्रति के साथ अहकाम जारी हो[illegible]

उपखण्डाधिकारी
(अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:42:03 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 10.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्डाधिकारी
[illegible] (अलवर) राज०

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:42:03 IST
Reason: SelfAttested